न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. **अपील संख्याः 12/23** **निर्णय दिनांकः–** 13.10.2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/91)

1. रूपाराम पुत्र स्व श्री मुरलीराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
2. चुन्नीलाल पुत्र स्व श्री मुरलीराम जाति नाई निवासी अमरपुरा बास भीनासर बीकानेर।
3. मोहनराम पुत्र स्व श्री मुरलीराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
4. सुगनाराम पुत्र स्व श्री लेखुराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
5. सुशीला देवी पत्नी स्व श्री गोरधनराम जाति नाई तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
6. कन्हैयालाल } पुत्रगण स्व श्री गोरधनराम जाति नाई निवासी तलाई
7. प्रदीप कुमार } गांव दियातरा तहसील श्रीकोलायत जिला बीकानेर।
8. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व श्री आसूराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
9. बद्रीप्रसाद ┐ पुत्रगण स्व श्री आसूराम जाति नाई निवासी तलाई गांव
10. कासीराम ├ दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
11. ओमप्रकाश ┘
12. संतोष देवी पत्नी स्व श्री किसनाराम जाति नाई तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
13. प्रभुदयाल } पुत्रगण स्व श्री किसनाराम जाति नाई निवासी
14. जसाराम } गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. किसनी देवी पत्नी स्व श्री जादूराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
2. रामेश्वरलाल ┐ पुत्रगण स्व श्री जादूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा
3. कैलाशचन्द ├ तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
4. पप्पूराम ┘

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व श्री कालूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
6. मदन
7. महेन्द्र
8. पूनम
9. पुरूषोतम
10. माया
11. कौशल्या

   पिसरान स्व श्री कालूराम जाति नाई निवासी दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
12. गंगादेवी पुत्री स्व श्री लेखूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
13. मुन्नी पुत्री स्व श्री लेखूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
14. सरोज
15. उर्मिला

   पिसरान स्व श्री गोरधनराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
16. सुमन पुत्री स्व श्री आसूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसीलय श्री कोलायत जिला बीकानेर।
17. परमेश्वरी पुत्री स्व श्री किसनाराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्री कोलायत जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2023
उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत

2. **अपील संख्याः 13/23** **निर्णय दिनांकः–**
   (जीसीएमएस संख्या 2023/91)

1. रूपाराम पुत्र स्व श्री मुरलीराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
2. चुन्नीलाल पुत्र स्व श्री मुरलीराम जाति नाई निवासी अमरपुरा बास भीनासर बीकानेर।
3. मोहनराम पुत्र स्व श्री मुरलीराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
4. सुगनाराम पुत्र स्व श्री लेखुराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
5. सुशीला देवी पत्नी स्व श्री गोरधनराम जाति नाई तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. कन्हैयालाल } पुत्रगण स्व श्री गोरधनराम जाति नाई निवासी तलाई
7. प्रदीप कुमार } गांव दियातरा तहसील श्रीकोलायत जिला बीकानेर।
8. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व श्री आसूराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
9. बद्रीप्रसाद ┐ पुत्रगण स्व श्री आसूराम जाति नाई निवासी तलाई गांव
10. कासीराम ├ दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
11. ओमप्रकाश ┘
12. संतोष देवी पत्नी स्व श्री किसनाराम जाति नाई तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
13. प्रभुदयाल } पुत्रगण स्व श्री किसनाराम जाति नाई निवासी
14. जसाराम } गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. किसनी देवी पत्नी स्व श्री जादूराम जाति नाई निवासी तलाई के पास गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
2. रामेश्वरलाल ┐ पुत्रगण स्व श्री जादूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा
3. कैलाशचन्द ├ तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
4. पप्पूराम ┘
5. श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व श्री कालूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
6. मदन ┐
7. महेन्द्र │
8. पूनम │ पिसरान स्व श्री कालूराम जाति नाई निवासी दियातरा
9. पुरूषोतम │ तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
10. माया │
11. कौशल्या ┘
12. गंगादेवी पुत्री स्व श्री लेखूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
13. मुन्नी पुत्री स्व श्री लेखूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
14. सरोज ┐ पिसरान स्व श्री गोरधनराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा
15. उर्मिला ┘ तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।
16. सुमन पुत्री स्व श्री आसूराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसीलय श्री कोलायत जिला बीकानेर।
17. परमेश्वरी पुत्री स्व श्री किसनाराम जाति नाई निवासी गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्री कोलायत जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 15–02–2023
उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स (1 ता 11)
3. श्री गिरिराज व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस (12 ता 17)
4. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत के निर्णय व डिकी दिनांक 24–01–2023 व 15–02–2023 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिकी पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उक्त दोनों पत्रावलियों में समान पक्षकार एवं समान बहस होने के कारण एक साथ आदेश लिखवाया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 17 के पिता, दादा, ससूर, स्व मुरलीराम व स्व जादूराम, स्व लेखूराम आपस में भाई थे तीनो ने मिलकर कृषि भूमि के आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर संबंधित अधिकारी ने तीनो भाईयों के नाम से एक कृषि भुमि वाके गांव दियातरा तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर पटवार हल्का दियातरा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में आवंटित की उक्त कृशि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 238/146 है जिसकी तादादी 50 बीघा है। जिस पर तीनों भाईयों ने आपसी सहमति व रजामंदी से उक्त भूमि को 1/3–1/3 हिस्से में बांटकर सन 1965 से ही कब्जा काश्त करना शुरू कर दिया। स्व लेखुराम ने आवंटित कृषि भूमि के पास ही एक अन्य कृषि भूमि अपने भाई मुरलीराम के साथ मिलकर आवंटन करवाई। लेखुराम भाई होने के नाते विश्वास करते हुए उक्त भुमि भाई लेखुराम के नाम से करवाई तथा बाद में तीनों भाईयों ने उक्त आवंटित भुमि को भी 1/3–1/3 में बराबर हिस्से में बांटकर पुर्ण भूमि पर कब्जा काश्त करना शुरू कर दिया। उक्त आवंटनशुदा कृशि भुमि के वर्तमान खसरा नंबर 119/2/2 तथा 145/2 है। कालान्तर में उक्त तीनों भाईयों के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसानों ने भी उक्त कृषि भुमि को 1/3–1/3 हिस्से में काश्त शुरू कर दिया। उक्त सभी विधिक वारिसानों यथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 17 का कब्जा काश्त आदिनांक तक बना हुआ है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि जादूराम के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की नियत में खोट आ गई और रेस्पोडेंन्ट संख्या 2, 3, 4, 6, 7 ने अपीलांट संख्या 1 ता 3 को दिनांक 19–08–2022 को खेत पर आकर धमकाया और कहा कि आप लोग यह कृशि भूमि खाली कर दो अन्यथा आपको जबरन उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर इस पर कब्जा किया जावेगा। इस पर अपीलांट 1, 2, 3, 12, 13, 14 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 6, 7 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकोलयत बीकानेर में एक वाद पत्र बाबत प्राप्त करने डिक्री घोषणात्मक एवं स्थायी चिर निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 181 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 23–08–2022 को प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ कोर्ट ने दिनांक 24–08–2022 को अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेष जारी किया कि प्राथीगण के विवादित भूमि के 1/3 हिस्से तक की भूमि आईदा दिनांक 23–09–2022 तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया की रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 11 ने अधीनस्थ कोर्ट उपखण्ड अधिकारी कोलायत में वाद एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट के खिलाफ प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ड के खिलाफ दिनांक 19–09–2022 को नोटिस जरिये डाक अपीलांट को भिजवाये जो नोटिस दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

21–09–2022 को अपीलांट 1 व 4 तथा 5 ता 15 और रेस्पोडेन्ट संख्या 11, 12, 13, 14, 15 को मिला और उक्त नोटिस में तारीख पेषी 14–10–2022 मुकर्रर की शेष अपीलांट संख्या 2 व 3 को गलत और अधुरे पते पर नोटिस भेजा जो उन्हे प्राप्त नहीं हुआ और वे कोर्ट में उपस्थित नही आ सके न्यायाल ने पत्रावली वास्ते जवाब व शेष तल्वी हेतु दिनांक 11–11–2022 मुकर्रर की। बाद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 2 व 3 को कोई नोटिस जारी नही करते हुए उक्त अपीलांट संख्या 2 व 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। अभिभाषक अपीलांट को मौखिक जवाब देने आदेश देने हेतु आगामी तारीख पेशी 21–02–2023 नोट करवाई तत्पश्चात् बिना किसी सूचना के अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को 19–01–2023 तथा 24–01–2023 मुकर्रर कर बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट का जवाब बन्द कर दिया और उसी दिन एकपक्षीय निर्णय पारित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।

अभिभाषक अपीलांट बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ कोर्ट ने दिनांक 24–01–2023 को तहसीलदार राजस्व कोलायत को विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में लिया जाकर प्रस्ताव में नजरी नक्शा प्रस्तुत करने के आदेश दिये लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 18 तहसीलदार राजस्व श्री कोलायत व पटवारी दियातरा ना तो मौका पर आये नाही अपीलांट को सूचना दी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 11 के कहे अनुसार कार्यालय में बैठकर ही नक्शा बनाकर प्रस्ताव तैयार कर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 11 से साथ मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ही अंतिम डिक्री दिनांक 15–02–2023 को जारी कर दी। ऐसी स्थिति में कानून व प्राकृतिक न्याय के सिंद्धांत की पूर्ण अवहेलना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 24–01–2023 व अंतिम डिक्री दिनांक 15–02–2023 को खारिज किये जाने का निवेदन अभिभाषक अपीलांट द्वारा किया गया।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तलब किये जाने पर प्रतिवादी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया था एवं यदि अपीलांट/प्रतिवादी को प्रस्तावों से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी भी तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन की डिक्री पारित की है वो वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार पारित नहीं की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालना पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020 पेज 524, आरआरडी 1988 पेज 420 एवं आरबीजे 2021 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए दिनांक 30–06–2022 को संस्थित हुआ। जिसमें दिनांक 14–10–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 व 17 ता 20 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। आदेशिका दिनांक 19–01–2023 द्वारा पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24–01–2023 को पेशी निर्धारित की गई। दिनांक 24–01–2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर जवाब बंद कर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद निस्तारण की सम्यक प्रकिया का पालन नही किया गया। जवाब बंद होने की सूरत में पत्रावली वास्ते साक्ष्य व बहस हेतु निर्धारित की जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का उल्लघंन करते हुए उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में नियमानुसार नियम 18 ता 21 की पालना करने हुए तहसीलदार को स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तेयार करने थे। यह आज्ञापक प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं विभाजन प्रस्ताव तेयार न करके पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिहस्ताक्षर अंकित किये है जो कि आज्ञापक प्रावधानो का स्पष्टतः उल्लंघन है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल न्यायालय आदेशिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 24–01–2023 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात पत्रावली सीधे दिनांक 15–02–2023 को पेशी में ली जाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की आपत्ति/सहमति ली गई हो। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पर बिना सुनवाई पारित अंतिम डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना एवं न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश व डिक्री दिनांक 24–01–2023 एवं 15–02–2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे साथ ही तहसीलदार राजस्व को विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 13–11–2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही में भाग लेवे।

8. निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर